कार्यालय
कार्यपालक अभियंता,
पूर्वी तटबंध प्रमंडल,कोपरिया।
eekoparia@gmail.com

भाड़े पर वाहन लेने हेतु अति अल्पकालीन पुनर्कोटेशन आमंत्रण सूचना संख्या 03/2025–26

पत्रांक../ कोपरिया दिनांक......................................2026

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्वी तटबंध प्रमंडल, कोपरिया के कार्यक्षेत्र अंतर्गत स्थल निरीक्षण तथा अन्य सरकारी कार्यो के निष्पादन हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 के दौरान 03 (तीन) अदद SUV या समकक्ष (चालक सहित) आपूर्ति हेतु निम्नांकित शर्तो के अधीन इच्छुक वाहन मालिकों/फर्मो से कोटेशन आमंत्रित किया जाता है।

1. कोटेशन आमंत्रण की तिथि :– दिनांक 24.03.2026
2. कोटेशन प्राप्ति की तिथि एवं समय :– दिनांक 06.04.2026 को पूर्वाह्न 10:30 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक
3. कोटेशन प्राप्ति का स्थान :– पूर्वी तटबंध प्रमंडल, कोपरिया।
4. कोटेशन खोलने की तिथि एवं समय :– दिनांक 06.04.2026 को अपराह्न 3:30 बजे
5. विज्ञापनदाता का नाम एवं पता :– कार्यपालक अभियंता, पूर्वी तटबंध प्रमंडल, कोपरिया।

कोटेशन की तकनीकी शर्ते

1. वाहन का वैध वाणिज्यिक निबंधन प्रमाण पत्र, अद्यतन प्रदूषण प्रमाण पत्र (पी0यू0सी0), अद्यतन रोड टैक्स, अद्यतन फिटनेस प्रमाण–पत्र तथा वाहन का वैध इंशयोरेंस कोटेशन के साथ समर्पित किया जाना होगा।
2. वाहन मालिक का आधार नम्बर, पैन नम्बर एवं जी0एस0टी0 नम्बर कोटेशन के साथ समर्पित किया जाना होगा।
3. वाहन चालक के पास अद्यतन एवं वैध व्यवसायिक ड्राईविंग लाईसेंस होना चाहिए।
4. कोटेशनदाता को वित्तीय दर निम्नांकित प्रपत्र में उद्धरित करना होगा:–

क्र0सं0	वाहन का प्रकार	ईंधन रहित मासिक भाड़ा का दर (सभी करो यथा जी0एस0टी0,आई0टी0 सहित)

नियम एवं शर्ते

1. भाड़े पर वाहन दिनांक 07.04.2026 से 31.03.2027 तक रखने के लिए एकरारनामा किया जाएगा तथा संतोषजनक सेवा रहने पर अगले एक साल के लिए एकरारित दर पर ही अवधि विस्तार किया जा सकता है।
2. वाहन वर्ष 2022 मॉडल से पूर्व का नहीं होना चाहिए।
3. वाहन मालिक/एजेन्सी का वैध पैन एवं जी0एस0टी0 नम्बर होना चाहिए।
4. वाहन प्रदाता के फर्म होने की स्थिति में यह मोटर वाहन अधिनियम एवं अन्य सुसंगत अधिनियम के अन्तर्गत निबंधित होना चाहिए।
5. वाहन का दैनिक रख–रखाव (चालक सहित) दैनिक साफ सफाई एवं सभी प्रकार के मरम्मति, तौलिया आदि उपलब्ध कराना इत्यादि पर होने वाले व्यय वाहन मालिक/ एजेन्सी की होगी।
6. वाहन चालक का मानदेय, भुगतान, आवासन एवं भोजन आदि का व्यवस्था वाहन मालिक/ एजेन्सी की होगी।

7. वाहन का वैध प्रमाण पत्र, प्रदुषण प्रमाण पत्र (पी0यू0सी0) रोड टैक्स, फिटनेस प्रमाण–पत्र तथा इंश्योरेन्स आदि मोटर अधिनियम के अनुसार अद्यतन रखने की जिम्मेवारी वाहन मालिक / एजेन्सी की होगी। यदि इसमें कमी के कारण सक्षम पदाधिकारी द्वारा कोई दण्ड अधिरोपित होता है तो इनका वहन (व्यय) वाहन मालिक करेंगें।

8. नियमानुकुल सभी प्रकार के करों एवं अन्य शुल्क अदेयता की जिम्मेवारी वाहन मालिक / एजेन्सी की होगी।

9. वाहन चालक का प्रशिक्षित लाईसेन्स, ट्रेफिक जानकारी होना अनिवार्य है। यदि इसमें गलती के कारण कोई दण्ड अधिरोपित होता है तो इनका वहन (व्यय) वाहन मालिक करेंगे।

10. वाहन की चोरी या दुर्घटना अथवा अन्य क्षति होने पर चालक सहित जिम्मेवारी वाहन मालिक / एजेन्सी का होगा।

11. वाहन के उपयोग के विरूद्ध मात्र मासिक किराया (ईंधन रहित) देय होगा।

12. भाड़े के भुगतान के समय नियमानुसार सभी प्रकार के कर यथा– आयकर एवं जी.एस.टी. की कटौती की जायेगी।

13. यदि चालक अनुपस्थित रहेंगे तो वाहन भाड़ा से कटौति की जायेगी।

14. वाहन के उपयोग के लिए लॉगबुक का संधारण वाहन मालिक की जबावदेही होगी, जिसका उपयोग करने वाले पदाधिकारी यात्रा प्रयोग संबंधी आवश्यक प्रविष्टि करेंगें, जिसके आधार पर वाहन का मासिक किराया ईंधन रहित भुगतान किया जायेगा।

15. मासिक न्यूनतम दर जिलाधिकारी, सहरसा के ज्ञापांक 1167–2 / नजा0 सहरसा दिनांक 06.10.2025 के द्वारा स्वीकृत दर के बराबर या न्यूनतम उद्धृत दर पर कोटेशनदाता का रू0 1000.00 (एक हजार) मात्र के स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा किया जायेगा और उन्हें वाहन उपलब्ध कराने का आदेश दिया जायेगा। उपरोक्त दर चालक एवं मेंटेनेन्स सहित रहेगा।

16. आवश्यकतानुसार वाहन का उपयोग दिवारात्रि में किया जा सकता है। इस हेतु कोई अतिरिक्त शुल्क / किराया का दावा मान्य नहीं होगा।

17. आपूरित वाहन का किसी अन्य कार्य हेतु उपयोग वर्जित होगा।

18. वाहन का उपयोग हेतु 24 घंटे संबंधित पदाधिकारी के नियंत्रण में रहेगा एवं किसी भी परिस्थिति में बिना अनुमति के कार्यालय परिसर से बाहर नहीं जायेगा।

19. वाहन खराब हो जाने पर वाहन मालिक / एजेन्सी का दायित्व होगा कि वे तुरंत दूसरा वाहन उपलब्ध करायेंगें, अगर वे ऐसा नहीं करते है तो उस माह का भाडे का भुगतान नहीं किया जायेगा।

20 वाहन का माईलेज वास्तविक रूप से डाले गये डीजल अथवा 10 कि0मी0 प्रति लीटर में से जो भी अधिक हो मान्य होगा।

21. आमंत्रित कोटेशन को बिना बताये रदद् या अस्वीकार किये जाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

22. संबंधित मद में आवंटन उपलब्ध रहने की स्थिति में ही भुगतान का दावा मान्य होगा।

23 वाहन मालिक / एजेन्सी का जी0एस0टी नम्बर चालू हालत (एक्टिव) रहने की स्थिति में ही भुगतान किया जायेगा।

24. नियमानुसार जी0एस0टी0 एवं इनकम टैक्स की कटौती भुगतान की जाने वाली राशि से कर ली जायेगी।

25. संबंधित कागजातों की सत्यापित प्रति के साथ निर्धारित प्रपत्र में अपना कोटेशन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में समर्पित करेंगें।

26. कोटेशन खोलने की निर्धारित तिथि को कोटेशन खोले जाने के समय वाहन मालिक/एजेन्सी या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगें। अनुपस्थिति रहने की स्थिति में उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा।

27. सभी वांछित कागजात सहित पाये जाने पर एवं एक से अधिक समान न्यूनतम दर के कोटेशन प्राप्त होने पर दिनांक 06.04.2026 को अपराह्न 04:00 बजे वैद्य कोटेशन दाता के बीच लौटरी के माध्यम से वाहन मालिक/फर्म का चयन किया जायेगा। वाहन मालिक/एजेन्सी या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति/अनुपस्थिति में लौटरी किया जायेगा। इस संबंध में बाद में कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालय अवधि में आधोहस्ताक्षरी अथवा कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

ह0/-
कार्यपालक अभियंता,
पूर्वी तटबंध प्रमंडल, कोपरिया।

ज्ञापांक :– 363 / कोपरिया दिनांक 24 / 03 / 2026

प्रतिलिपि:– सूचना एवं जन–सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, पटना को लोकप्रिय राष्ट्रीय/स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों/विभागीय बेवसाईट पर प्रकाशन हेतु समर्पित। (सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी)

24/03/26
कार्यपालक अभियंता,
पूर्वी तटबंध प्रमंडल,कोपरिया।